मो0 शोएब व अन्य
बनाम
जय प्रकाश सिह व अन्य

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–विविध (अपील) वाद संख्या–16 / 2022–23

अंचल–हेहल, मौजा–हेहल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
15/4/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता मो0 शोएब एवं अन्य द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर रांची द्वारा MISC. APPEAL 59/2013-14 में पारित आदेश 11.01.2017 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि भूमि मौजा हैहल थाना संख्या 203, जिला रांची अन्तर्गत खाता संख्या 77 प्लॉट संख्या 1206 रकबा 87 डिसमिल एंव प्लॉट संख्या 1207 रकबा 55 डिसमिल कुल रकबा 1.42 एकड़ भूमि खतियानी रैयत हरनाथ सिंह वगैरह पेशरान मनबोध सिंह के नाम दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि एंव अन्य भूमि मो० सावित्री देवी पति स्वर्गीय गनौरी सिंह एंव विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह बतौर उत्तराधिकारी एंव वंशानुगत दखलकार हुए थें एंव उपरोक्त मो० सावित्री देवी उक्त भूमि को वर्ष 1968 में जरपेशगी पट्टा द्वारा पांच वर्षो के मो० इशाक वल्द स्व० कुदरत अली के नाम निष्पादित किये थें एंव कुछ ही दिनो बाद उपरोक्त भूमि मो० सावित्री देवी एंव विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह संयुक्त रूप विक्रय पत्र संख्या 7410 / 7774 दिनांक 22.07.1968 द्वारा मो० इशाक पिता स्व० कुदरत अली के नाम निष्पादन कर दखलकार घोषित किये।	

एवं वार्ता के बाद उन्हे ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह एंव मो० सावित्री देवी सयुंक्त रूप से उपरोक्त भूमि विक्रय पत्र संख्या 7774/7410 दिनांक 22.07.1968 को ही मो० इशाक पिता स्व० कुदरत अली के नाम निष्पादित कर चुके थें एंव समय की लम्बी चुक एंव वृद्ध अवस्था के कारण विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह द्वारा भूल वश उपरोक्त नौ विक्रय पत्र विभिन्न क्रेताओं के नाम निष्पादित कर चुके है एंव अपने भूल से अवगत होने के बाद सभी क्रेताओं के साथ आपसी बैठक कर सुलह कर चुके है एंव उपरोक्त विक्रय पत्रों द्वारा प्राप्त भुगतान की गई प्रतिफल राशि को लागत सहित वापस लौटा दिये है एंव अब किसी प्रकार की कोई आपसी विवाद नहीं है।

अपीलकर्त्ता के आवेदन के आलोक में विपक्षी जय प्रकाश सिंह को नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी संख्या 01 स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किये है कि माननीय एल0आर0डी0सी0 रांची द्वारा एम0 वाद संख्या 59/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 एक पक्षिए आदेश, मृतक मो० इशाक के खिलफ है एंव काफी छानबीन के दौरान विपक्षी संख्या 01 को जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त मो० इशाक का निधन वर्ष 1979 के आस पास हो चुका था।

उपरोक्त वाद के आवदेन के पारा 01 से 05 में कथित बाते अभिलेख की है जिसे विपक्षी संख्या 01 स्वीकार करते है।

उपरोक्त वाद के आवेदन की पारा 06 से 07 में कथित बाते तथ्यों पर आधारित है।

उपरोक्त वाद के आवेदन की पारा 08 में कथित बाते दस्तावेज पर आधारित है परन्तु विपक्षी संख्या 01 द्वारा अशंतः स्वीकार कि जाती है कि माननीय एल0आर0डी0सी0 रांची द्वारा एम0 वाद संख्या 59/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 एक पक्षिए आदेश मृतक मो० इशाक के खिलाफ है एंव विपक्षी उपस्थित होकर न्यायालय से निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद मे माननीय न्यायालय द्वारा सम्मानीत एल0आर0डी0 द्वारा MISC. APPEAL 59/2013-14 में पारित एक पक्षिए आदेश 11.01. 2017 को रद्द कर अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश पारित किया जाता है साथ ही

उपरोक्त सम्पति की जमाबन्दी पुर्नस्थापित कर बहाल किया जाता है या अपीलकर्त्ता के नाम कायम किया जाता है तो इस पर विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह का कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उभय पक्षों का तर्क सुनने एंव अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी जय प्रकाश सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि उपरोक्त भूमि मौजा हेहल, थाना संख्या 203 जिला रांची अन्तर्गत खाता संख्या 77 प्लॉट संख्या 1206 रकबा 87 डिसमिल एंव प्लॉट संख्या 1207 रकबा 55 डिसमिल कुल रकबा 1.42 एकड़ भूमि खतियानी रैयत हरनाथ सिंह वगैरह पेशरान मनबोध सिंह के नाम दर्ज है एंव मो० सावित्री देवी पति स्व० गनौरी सिंह एंव विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह उपरोक्त भूमि एंव अन्य भूमि बतौर उत्तराधिकारी एंव वंशानुगत दखलकार हुए थें एंव मो० सावित्री देवी द्वारा वर्ष 1968 में पांच वर्षो के लिए उपरोक्त भूमि को मो० इशाक के नाम जरपेशगी पट्टा द्वारा बंधक किया था साथ ही दिनांक 22.07.1968 को पुनः उपरोक्त भूमि विक्रय पत्र संख्या 7774/7410 द्वारा मो० सावित्री देवी एंव विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह सयुंक्त रूप से मो० इशाक के नाम विक्रय पत्र निष्पादित कर दखलकार घोषित किये थें।

विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह काफी वृद्ध हो चुके है एंव वर्ष 2022 में आपसी बैठक द्वारा उन्हे ज्ञात हुआ कि उपरोक्त भूमि दिनांक 22.07.1968 में ही स्वयं एंव स्वर्गीय मो० सावित्री देवी द्वारा मो० इशाक पिता स्व० कुदरत अली के नाम निष्पादित कर चुके है।

विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार करते है कि वाद में माननीय न्यायालय द्वारा सम्मानीत एल0 आर0 डी0 सी0 द्वारा MISC. APPEAL 59/2013-14 में पारित एक पक्षिए आदेश 11.01.2017 को रद्द कर अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश पारित किया जाता है एंव उपरोक्त सम्पति की जमाबन्दी पुर्नस्थापित कर बहाल किया जाता है या अपीलकर्त्ता के नाम कायम किया जाता है तो इस पर विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह का कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलकर्त्ता के अनुसार विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह को उपरोक्त पांच वर्षो के लिए बंधकीय भूमि की अवधि काफी वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी एंव उपरोक्त विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 01 द्वारा नजरअंदाज कर उपरोक्त सम्पति में से अबतक कुल 09 (नौ) विक्रय पत्र विभिन्न क्रेताओ के नाम निष्पादित कर चुके है जिसकी संख्या निम्नवत है **(1) विक्रय पत्र संख्या 3704/3144 दिनांक 15.06.2017 क्रेता प्रकाश रजक, (2) विक्रय पत्र संख्या 3705/3145 दिनांक 15.06.2017 क्रेता सुरेद्र कुमार, (3) 4078/3489 दिनांक 01.07.2017 क्रेता श्रीमति बिन्दिया केशरी, (4) 4089/3490 दिनांक 01.07.2017 क्रेता पुनम राज कुमारी, (5) 1759/1600 दिनांक 28.02.2018 क्रेता श्रीमति श्वाती कुमारी दास, (6) 1760/1601 दिनांक 28.02.2018 क्रेता जया कुमारी, (7) 1761/1602 दिनांक 28.02.2018 क्रेता श्रीमति अंजनी कुमारी रजक, (8) 1758/1599 दिनांक 28.02.2018 क्रेता श्रीमति दुलारी देवी एंव (9) 4077/3488 दिनांक 01.07.2017 क्रेता श्रीमति रिता कुमारी के नाम निष्पादित कर चुकें है एंव इनमें से कुछ क्रेतागणो ने अपना नाम अंचल कार्यालय हेहल में दर्ज भी कराकर रसीद प्राप्त किये है जिनका संख्या निम्नवत है दाखिल खाजिर वाद संख्या 985 आर 27/2017–18, दिनांक 08.01.2018 नाम प्रकाश रजक, वाद संख्या 983 आर 27/2017–18 दिनांक 08.01.2018 नाम रिता कुमारी, 986 आर27/2017–18 दिनांक 08.01.2018 सुरेन्द्र कुमार, वाद संख्या 984 आर 27/2017–18 दिनांक 08.01.2018 नाम पुनम राज कुमारी, 982 आर 27/2017–18, दिनांक 08.01.2018 नाम बिन्दिया केशरी** है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी संख्या 01 जय प्रकाश सिंह काफी वृद्ध हो चुके है एंव वर्ष 2022 में आपसी बैठक में उपरोक्त रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1968 में निष्पादित मो० इशाक के नाम पट्टा देख

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर रांची द्वारा MISC. APPEAL 59/2013-14 में पारित एक पक्षिय आदेश 11.01.2017 को रद्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/4/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

15/4/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

ज्ञापांक : 2556 (11)/रा दिनांक : 09-05-2023

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी हेहल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

Mail Sent 12/05/23

09/5/23
अपर समाहर्ता
रांची।

09/5/23

09/05/2023

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:22:58 +05:30
Location: 192.168.2.175